

रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी तथा अभ्यर्थियों से निम्नानुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी,

(क) लिखित परीक्षा- अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु शासनादेश संख्या-279/47-का-3-2024, दिनांक-08-05-2024 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है। परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा

विभाग का नाम	पदनाम	शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश	वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य/विशेष चयन)	<p>(ख) शारीरिक मानक परीक्षा- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों से, जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये हों, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।</p> <p>शारीरिक मानक परीक्षण का संचालन तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक, (2) चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, (3) उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक। <p>1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक- ऊंचाई</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर, (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, <p>सीने का फुलाव</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर, (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर <p>टिप्पणी- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।</p> <p>2- महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक- ऊंचाई</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। <p>वजन</p> <p>45 से 58 किलोग्राम।</p> <p>3- शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।</p> <p>4- शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।</p>

2/1/2024

विभाग का नाम	पदनाम	शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा
		<p>(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा- ऐसे अभ्यर्थियों से, जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये हो, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।</p> <p>शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक, (2) चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, (3) उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक। <p>(क) पुरुष अभ्यर्थियों से 10 कि०ग्रा० का भार लेकर 04 घण्टे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की और महिला अभ्यर्थियों से 04 घण्टे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ अर्हकारी प्रकृति की है।</p> <p>(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागीय सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा।</p> <p>(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां सम्भव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।</p> <p>(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं, वे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।</p> <p>(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा और जहां तक सम्भव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।</p> <p>(च) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के पदाभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण से गुजरने की अपेक्षा की जायेगी।</p> <p>(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।</p> <p>(घ) चिकित्सीय परीक्षा- ऐसे अभ्यर्थियों से, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों, चिकित्सीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।</p> <p>जिन अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जायेगी, वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि उसमें चिकित्सकीय परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। परीक्षा आयोजित किये जाने से पूर्व चिकित्सा परीक्षण की अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को, जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर जहां कहीं पर भी परीक्षण आयोजित किया जाय अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।</p>

21/10/17

विभाग का नाम	पदनाम	शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा
		<p><u>चिकित्सा निर्देशिका के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण-</u></p> <p>(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों यथा नॉक-नी, बो-लेस, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षण कर सकता है।</p> <p>(ख) दिन की समाप्ति पर प्रतिदिन परिणाम को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और माइक से उद्घोषित किया जाएगा और जहां तक सम्भव हो वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।</p> <p>(ग) चिकित्सा परिषद् के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।</p> <p>(घ) चिकित्सकीय परीक्षा मात्र अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।</p>

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	विषयगत ज्ञान	50	50	120 मिनट (दो घण्टा)
भाग-2	प्रारम्भिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान	15	15	
भाग-3	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-4	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

2/10/2019

8

नोट - उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

पाठ्यक्रम

भाग-1

(विषयगत ज्ञान)

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार
2. आरक्षित वन और संरक्षित वन
3. हाथी और टाइगर रिजर्व
4. हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन (परितंत्र एवं इसके संघटक, आहार श्रृंखला एवं जाल, ओजोन परत तथा इसका अपक्षय, कचरा प्रबन्धन)
5. जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण
6. मृदा और आर्द्रता संरक्षण
7. वनीकरण और कृषि वानिकी
8. वन आपदाओं की चुनौतियाँ और रोकथाम
9. वन उपज
10. मानव-वन्यजीव संघर्ष
11. वन पर्यावरण और उसके लाभ
12. वन एवं वन्य जीव संरक्षण
13. भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान
14. वन पारिस्थितिकी
15. भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र

भाग-2

(प्रारम्भिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान)

गणित - प्रतिशतता, लाभ-हानि, साधारण व्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य, बुनियादी ज्यामिति आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिधि, वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक।

जीव विज्ञान - जैव प्रक्रम (पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन), नियंत्रण एवं समन्वय (जन्तु तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जन्तुओं में हार्मोन), जीव जनन (एकल जीवों में प्रजनन की

21/07/11

8

विधि, मानव में लैंगिक जनन, पुरुषों में लैंगिक जलन), अनुवांशिकता।

भाग-3

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समाजसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान
 - I. हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर
 - II. इनपुट एवं आउटपुट
 - III. इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आईओपीओ एड्रेस
 - IV. आईओटीओ गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग
 - V. ई-मेल आईओडीओ को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन
 - VI. प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन
 - VII. वर्ड प्रोसेसिंग (MS-word) एवं ऐक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व
 - VIII. ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-4

(उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी)

प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषायें, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समाजसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

Examination Plan and syllabus of written examination for selection on vacant posts of direct recruitment of forest guards and Wildlife guards.

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer for the examination, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, related subjects from which questions